

सार्वजनिक सूचना

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 67 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-22डी में प्रकाशित BHS-02/2013 एवं BHS-03/2014 योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्रफल-54.75 वर्गमीटर एवं क्षेत्रफल-99.86 वर्गमीटर के आवंटियों को ब्रोशर के नियम एवं शर्त के अनुसार समय से कब्जा नहीं दिये जाने के कारण उक्त क्षेत्रफल के आवंटियों को यह सुविधा अनुमन्य की जाती है कि यदि उक्त क्षेत्रफल के आवंटी रिफण्ड हेतु बैंक लिस्ट जारी होने से पूर्व आवेदन करते हैं तो जमा सम्पूर्ण धनराशि को 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित (योजना ब्रोशर के नियम-वी-3 के अनुसार) वापिस किये कर दी जायेगी। बैंक लिस्ट जारी होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में रिफण्ड हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।


विशेष कार्याधिकारी (एन.ओ.) 23/3/202

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण